

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-627/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.195-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(245)-2022

लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या-231/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी0सी0.180-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(231)-2022 दिनांक 31 मार्च, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष स्तम्भ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "फलाई ऐश ईटें; फलाई ऐश समुच्चय; फलाई ऐश ब्लॉक" रख दी जायेगी।

2. यह अधिसूचना तारीख 18 जुलाई, 2022 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,



(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव